संख्या–227 /V–2 / 21–56(आ०) / 2016

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

ACA

सेवा में,

1. मुख्य प्रशासक,
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।

2. उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
देहरादून / हरिद्वार।

3. उपाध्यक्ष,
समस्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड।

4. **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,**
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
देहरादून।

Shailesh Bagauli, I.A.S.
Secretary
Govt. of Uttarakhand

आवास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 01 ~~जनवरी~~ फरवरी, 2021

विषयः भवन निर्माण एवं विकास उपविधि / विनियम, 2011 (संशोधन, 2015) के प्रस्तर– 7.14 के उप प्रस्तर– (II) एवं (III) में संशोधन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आवास विभाग के शासनादेश संख्या–998 / V–2 / 2020 –56(आ०) / 2016 दिनांक 15.09.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से भवन निर्माण एवं विकास उपविधि / विनियम, 2011 (संशोधन, 2015) के प्रस्तर–7.14 के उप प्रस्तर– (II) एवं (III) की तालिकाओं में इण्डियन रोड कांग्रेस के मानकों के अनुसार परभाषित "अर्बन एरिया" के मानक सम्मिलित करते हुए, संशोधन किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–998 दिनांक 15.09.2020 में उल्लिखित प्राविधान 7.14 (II) "भूखण्ड की स्थिति एवं अपेक्षाएं" की सारणी के क्रमांक–2 (मार्ग के एक ओर दो फिलिंग स्टेशनों की परस्पर दूरी) के अंतिम स्तम्भ में त्रुटिवश अंकित 30.00 मीटर के प्राविधान को एतद्द्वारा निरस्त करते हुए, इस संबंध में शासनादेश संख्या–2013 / V–2015–55(आ०) / 2006 टी.सी. दिनांक 08.12.2015 के द्वारा 7.14 (II) (2) में किये गये संशोधित प्राविधान को यथावत् रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। शासनादेश संख्या–998, दिनांक 15.09.2020 के शेष प्राविधान यथावत् रहेंगे।

भवदीय,
(शैलेश बगौली)
सचिव

संख्या–   /V–2 / 21–56(आ०) / 2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निजी सचिव, मा० आवास मंत्री, उत्तराखण्ड को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी / कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल।
3– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अर्पण कुमार राजू)
उप सचिव

उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण
पत्र क्रमांक सं0 2731
दि0 02-02-21
देहरादून

letter 20